

(ii) for the entries under column (10), the following entries shall be substituted, namely:-

“By absorption, failing which by direct recruitment.

Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits in Column (7).”;

(b) against serial numbers 1 to 8 relating to the posts of Multi Tasking Staff—Office and Training, Technical Attendant-Printing Machine Operator, Technical Attendant-Book Binder, Technical Attendant-Baker and Confectioner, Technical Attendant-Barber, Technical Attendant-Rigger, Technical Attendant-Cycle Repairer and Technical Attendant-Boot Repairer, for the entries under column (12) thereto, the following entries shall respectively be substituted, namely :—

“Group ‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :—

- | | |
|--|-----------|
| (i) Brigadier or equivalent | —Chairman |
| (ii) Colonel or Lieutenant Colonel or equivalent | —Member |
| (iii) Major or Captain or equivalent | —Member.” |

[No. 15743/RRs/MTA/IDS/PERS/71/D(Apptts.)/2014]

DALPAT SINGH, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 4, vide number S.R.O. 51 dated the 11th July, 2011.

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2014

का.नि.आ. 17.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा लेखा विभाग (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक) भर्ती नियम, 1989 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग में निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (निजी सचिव) भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों की भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
-----------	----------------	----------	-------------------------------------	------------------	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निजी सचिव	59* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन रु. 4600	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
--	--	-------------------------------

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनमें से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
--	--

(10)	(11)
------	------

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति :

वेतन बैंड-2, वेतनमान 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में ऐसा आशुलिपिक श्रेणी-1 जिसने नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है और विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रदान किए गए उच्चतर पद के कर्तव्यों के संबंध में 2 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण 1 : निजी सचिव पद पर प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर आशुलिपिक श्रेणी-1 के पोषक पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष बनी रहेगी।

(11)

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के आशुलिपिक काडर के ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है।

टिप्पण 1 : पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के संबंध में) :—

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय से भिन्न कार्यालयों के लिए :

1. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक या रक्षा लेखा नियंत्रक या रक्षा लेखा अपर नियंत्रक अथवा रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक —अध्यक्ष

2. रक्षा लेखा उप नियंत्रक —सदस्य

3. रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक —सदस्य

रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय के लिए :

1. रक्षा लेखा वरिष्ठ उप महानियंत्रक अथवा रक्षा लेखा उप महानियंत्रक —अध्यक्ष

2. रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक —सदस्य

3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी —सदस्य

[फा. सं. एफ. 9(3)/सी/2011]

बीना प्रसाद, संयुक्त सचिव और अपर वित्तीय सलाहकार

(FINANCEDIVISION)

New Delhi, the 24th February, 2014

S.R.O. 17.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Defence Accounts Department (Senior Personal Assistants) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Private Secretary in the Ministry of Defence, Defence Accounts Department, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Private Secretary) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and any other special categories of persons, in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Private Secretary	59* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 plus Grade Pay of Rs. 4600	Selection	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	
(7)			(8)	(9)	
Not applicable			Not applicable	Not applicable	
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods			In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made		
(10)			(11)		
By promotion, failing which by deputation			<p>Promotion :</p> <p>Stenographer Grade-I in the pay band -2, Rs. 9300—34800 plus grade pay of Rs. 4200 with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis, who have successfully completed two weeks training in relation to the duties of higher post imparted at various Regional Training Centers functioning under the department.</p> <p>Note 1 : The eligibility service for promotion to the post of Private Secretary shall continue to be two years for persons holding the feeder posts of Stenographer Grade I on regular basis on the date of notification of these rules.</p> <p>Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 3 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by</p>		

(11)

an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation :

Officers under the Stenographer cadre of Central Government :

- (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years service in the grade rendered after appointment on regular basis in the pay band-2, Rs. 9300—34800 plus grade pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department.

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

Note 4 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists,
what is its composition

(12)

Circumstances in which Union Public Service
Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

**Group 'B' Departmental Promotion Committee
(for considering promotion) :—**

**For Offices other than the Controller General of
Defence Accounts :**

1. Principal Controller of Defence Accounts or —Chairman
Controller of Defence Accounts or Additional
Controller of Defence Accounts or Joint
Controller of Defence Accounts

Consultation with Union Public Service Commission
is not necessary.

(12)

2. Deputy Controller of Defence Accounts —Member
 3. Assistant Controller of Defence Accounts —Member

For the Office of the Controller General of Defence Accounts :

1. Senior Deputy Controller General of Defence Accounts or Deputy Controller General of Defence Accounts —Chairman
 2. Assistant Controller General of Defence Accounts —Member
 3. Senior Accounts Officer —Member

[F. No. 9(3)/C/2011]

VEENA PRASAD, Jt. Secy. and Addl. Financial Adviser

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2014

का.नि.आ. 18.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नौसेना (समूह 'ग' अनौद्योगिक पद, भंडारगृह कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 1984 को, जहां तक उसका संबंध भंडारी या सहायक भंडारी के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) के एकीकृत मुख्यालय में समूह 'ग' अनौद्योगिक, भंडारगृह कर्मचारिवृन्द के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) समूह 'ग' भंडारगृह कर्मचारिवृन्द (नौसेना भंडार संगठन) पद भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2018

का.नि.आ. 19.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (निजी सचिव) भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (निजी सचिव) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (निजी सचिव) भर्ती नियम, 2013 में,-

(i) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर, को इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भों (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किया जाएगा”

(ii) अनुसूची में,-

(क) स्तम्भ (4) में, स्तम्भशीर्ष और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भशीर्ष और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर 7
(44900-142400 रु.)”;

(ख) स्तम्भ (11) में, “ग्रेड वेतन 4200 रु. सहित वेतन बैंड 9300-34800 रु.” के शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400 रु.)” शब्दों, आंकड़ों और कोष्ठक को दोनों स्थानों पर अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ग) उप-शीर्ष ‘प्रोन्नति’ के अधीन टिप्पण-3 का लोप किया जाएगा।

(घ) उप-शीर्ष ‘प्रतिनियुक्ति’ के अधीन टिप्पण-4 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 9(5)/सी/2017]

आर.के. कर्ण, अपर वित्तीय सलाहकार और संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड-4 में का.नि.आ. सं. 17 तारीख 24 फरवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 3rd April, 2018

S.R.O. 19.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Private Secretary) Recruitment Rules, 2013 namely :-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Private Secretary) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Defence Accounts Department (Private Secretary) Recruitment Rules, 2013,-

(i) For rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-

“2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rule”.

(ii) in the Schedule;-

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

“ Level in Pay Matrix
(4)
Level 7
(Rs. 44900-142400)”;

(b) in column (11), for the words and figures “the pay band of Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200”, the words, figures and brackets “level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix” shall be substituted at both places;

(c) under sub-heading ‘Promotion’ Note 3 shall be omitted;

(d) under sub-heading ‘Deputation’ Note 4 shall be omitted.

[F. No. 9(5)/C/2017]

R. K. KARNA, Addl. Financial Advisor and Jt. Secy.

Note : The principal rule were published in the Gazette of India, Part-II, Section 4, vide S.R.O. 17, dated the 24th February, 2014.

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2018

का.नि.आ. 20.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग (ज्येष्ठ निजी सचिव) भर्ती नियम, 2007 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का नाम रक्षा लेखा विभाग (ज्येष्ठ निजी सचिव) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा लेखा विभाग (ज्येष्ठ निजी सचिव) भर्ती नियम, 2007 (इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा जाए) में, नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-